

AAE-1 (H)

सहायक लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा

नवम्बर, 2013

सार लेखन, प्रारूप और मसौदा

समय : 3 घंटे

अधिकतम अंक : 100

टिप्पणियां :

- (1) सार और प्रारूप तैयार करने से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन करते समय परीक्षार्थी द्वारा उन्हें समझने और सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे छोटे वाक्यों में व्यक्त करने की योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह गद्यांश को चयनित रूप में दोहरा दे।
- (2) इस प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न और 4 पृष्ठ हैं।
- (3) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

1. निम्नलिखित गद्यांश का सार लिखिए और उसे एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए:
(25 अंक)

विकासशील देशों में, किसी भी रूप में बाल श्रम एक गंभीर समस्या है। अनेक बच्चे दासत्व, अर्द्ध गुलामी, देह व्यापार इत्यादि जैसी कई बहुत बेकार परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रकाशन 'बालश्रम और लक्ष्य' (1996) के अनुसार, सभी विकासशील देशों में 5-14 वर्ष आयु वर्ग में कार्य करने वाले बच्चों की संख्या 120 मिलियन है परंतु आईएलओ ने बाद में 2000 में अनुमान लगाया कि विश्व में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 180 मिलियन थी और यदि दूसरी अन्य गतिविधियों को शामिल कर लिया जाता है तो यह आंकड़ा 250 मिलियन तक पहुंच सकता है। दक्षिण एशिया में फिर से बाल श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा है और भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक लगभग 20 मिलियन है। फिर भी, यदि हम मुख्य बाल श्रमिकों की संख्या में सीमांत बाल श्रमिकों की संख्या को मिला दें तो यह आंकड़ा लगभग 25 मिलियन हो जाएगा। यद्यपि बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है परंतु यह अकेला कारण नहीं है। देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, प्रौढ़ शिक्षा का अभाव, बड़े परिवार, प्राकृतिक आपदा, कृषि में बेरोजगारी, जानकारी का अभाव, वयस्कों की बुरी आदतें आदि

भी बाल श्रम के कारण हैं, विशेष तौर पर भारत जैसे विकासशील देशों में। आम तौर पर बाल श्रम उन क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित है जहाँ गरीबी, भूख, अशिक्षा, कुपोषण और वयस्कों को कम मजदूरी की समस्याएं मौजूद हैं।

बाल श्रम की अवधारणा बहुत अधिक जटिल एवं विवादास्पद है। यह आयु, कार्य स्थल, मजदूरी, शोषण, बचपन की गरीबी और बच्चे के संपूर्ण विकास को नकारने से संबंधित पहलू हैं। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हमारे राष्ट्रीय कानून, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में बाल श्रम की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। यहाँ मुख्य प्रश्न आयु से संबंधित है। चूंकि इस कानून में 14 वर्ष की आयु से कम 'बालक' को एक नौजवान व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। परंतु विभिन्न भारतीय कानूनों में 'बालक' को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। देखा जाए तो भारतीय दंड संहिता, 1860, सरकार के औपनिवेशिक अधिनियम की धारा 82, 'बालक' को एक 07 वर्ष की आयु से कम बालक के रूप में परिभाषित करती है, जो सात वर्ष के कम आयु के बालक के किसी विकृत व्यवहार अथवा अप्रत्याशित/अव्यवहारिक क्रियाओं को एक अपराध के रूप में नहीं माना जाता है। हमारा संविधान (अनुच्छेद 45, 39, 24) भी चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे को एक बालक के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा मुद्दा कार्य के स्थल से संबंधित है। जो इस बात से संबंधित है कि क्या परिवारिक कार्य में लगे एक बालक को एक बाल श्रमिक के रूप में माना जा सकता है अथवा कोई बाहरी रोजगार ही किसी बाल श्रम के लिए आवश्यक स्थिति बन रही है। तीसरा पहलू बाल श्रमिक को कार्य के लिए अदा की गई और अदा नहीं की गई मजदूरी है। जो इस से संबंधित है कि क्या बाल श्रमिक होने के नाते किसी बालक को कार्य के लिए मजदूरी दिया जाना या नहीं दिया जाना बाल श्रमिक की परिभाषा में आता है। शांता सिन्हा और उनका एम0वी0 प्रतिष्ठान, रंगारेड्डी (आंध्र प्रदेश) ने 1992 से बाल श्रम के उन्मूलन में लगे हैं, उन्होंने बच्चों के समग्र विकास को नकारने के बारे में अधिक व्यापक परिभाषा और बाल श्रमिकों के बारे में पाँच उचित अवधारणाएं प्रतिपादित की हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

(क) विद्यालय नहीं जाने वाला प्रत्येक बालक एक बाल श्रमिक है।

(ख) अपने परिवार अथवा किसी अन्य के अंतर्गत कार्य, कार्य दैनिक आधार पर या खंड आधार पर हो, के बदले मजदूरी पाने अथवा मजदूरी नहीं पाने वाला बालक, एक बाल श्रमिक के रूप में कार्य करता है।

(ग) भारत से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से बाल श्रम प्रणाली को हटा देना ही रास्ता है।

(घ) प्रत्येक कार्य बालक के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे उसका विकास प्रभावित होता है।

(ङ) परिवारिक कठिनाईयां, गरीबी, परिवार के लिए अतिरिक्त आय के रूप में बाल मजदूरी, बच्चे को विद्यालय में भेजने में परिवार की अरुचि दर्शाना, बच्चों को विद्यालय का अरुचिकर होना और रोजगार मुहैया करवाने में शिक्षा का मददगार नहीं बनना जैसे विभिन्न तर्क बच्चे के व्यापक विकास के विरुद्ध हैं।

आज यह आवश्यकता है कि हमें देश से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए तुरंत कुछ कदम उठाने होंगे और अपने बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा देने के बेहतर उपाय करने सहित उसे एक अच्छे वातावरण में पालने के अवसर देने चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें सबसे पहले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों में कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य बाल श्रम का उन्मूलन होना चाहिए, चूंकि किसी कानून से ही नियंत्रण किया जाना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बाल श्रम को विस्तृत क्षेत्र, बढ़ी जनसंख्या, कानून में कमियां, नियोजकों की बेईमानी और कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों में फैला भ्रष्टाचार जैसे सभी कारकों को नियंत्रित नहीं किया जाता है। बाल श्रम को एक विस्तृत नजरिए से देखा जाना होगा क्योंकि किसी भी प्रकार का अभाव या बच्चे समूचे विकास को नकारने को एक बाल श्रम के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए और इसे समाप्त कर देना चाहिए। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कानून लाने मात्र से इसमें प्रगति नहीं लाई जा सकती है। वास्तव में, श्रम कानूनों के पूरी तरह से और नियमित प्रवर्तन से, तत्काल आवश्यकता है कि श्रम से संबंधित अधिकारियों, अभियोग और न्यायिक अधिकारियों को बाल श्रमिकों के समर्थन में संवेदनशील बनना होगा है। विद्यालयों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में बाल श्रमिकों को लाने के लिए सक्रिय रूप से स्वैच्छिक संगठनों और नागरिकों द्वारा एक सच्ची जनमानस जागरूकता लानी चाहिए।

2. उपर्युक्त गद्यांश के आधार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 50 से 75 शब्दों का होना चाहिए।

(5x3 = 15 अंक)

(क) भारत में बाल श्रम के मुख्य कारण क्या हैं?

(ख) भारत में 'बालक' की परिभाषा से संबंधित क्या असंगतियां हैं?

(ग) हमारे देश से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

3. स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियां तैयार करते समय, भारत में बाल श्रमिकों की सेहत पर ध्यान देने के लिए सचिव, श्रम और रोजगार विभाग की ओर से सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को भेजे जाने वाले अर्द्धशासकीय पत्र का प्रारूप।
(20 अंक)

4. "क्या हम सुरक्षित लेखा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियों के कार्यान्वयन में सक्षम हो गए हैं, जो यह सुनिश्चित करे कि लेखाओं में मानवीय विशेषज्ञता को कायम रखा गया है।" कृपया लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखिए।
(25 अंक)

5. निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक-एक शब्द लिखें - (5 अंक)
(i) जो अवश्य होने वाला हो।
(ii) जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे।
(iii) अपनी शक्ति भरा।
(iv) लोभ करने वाला।
(v) जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों।

6. (क) निम्नलिखित के तीन-तीन पर्यायवाची लिखें- (3 अंक)
(i) आवश्यक
(ii) आदर्श
(iii) इच्छित
(ख) निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखें- (2 अंक)
(i) प्रशंसक
(ii) वाचाल

7. निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखें और वाक्य बनाएं - (5 अंक)
(i) अपनी खाल में मस्त रहना।
(ii) एक के तीन बनाना।
(iii) गढ़ जीतना।
(iv) घर काटने को दौड़ना।
(v) घुटा हुआ।

AAE - 1 (E)

ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER (CIVIL) EXAMINATION

NOVEMBER, 2013

PRECIS AND DRAFT

Time Allowed : 3 Hours

Maximum Marks : 100

Note: 1. While evaluating the question on precis and drafting the candidates would be evaluated for their understanding and ability to express the same in short sentences using simple words. He would not be expected to reproduce the passage selectively.

2. This question paper contains 7 questions and 4 pages.

3. All the questions are compulsory.

1. Write a précis of the following passage and give a suitable title:
(25 marks)

In developing countries child labour, in one form or other, is a serious problem. Many children are working in the worst forms of labour like bondage, semi-slavery, prostitution and so on. According to International Labour Organisation publication 'Child Labour and Targeting' (1996), the number of working children in the age group of 5-14 years in all developing countries was 120 million but ILO later estimated in 2000 that there were about 180 million child labourers in the world and if secondary activities are included, the number might reach to 250 million. Again the number of child labourers is highest in South Asia and therein India has the highest number of about 20 million. However, if we add the number of marginal child labourers to the number of main child workers, it would be around 25 million. Though poverty is the cause of the child labour, it is not the only cause. For instance, food insecurity, malnutrition, adult illiteracy, big size of the family, natural calamities, under employment in agriculture, lack of awareness, bad habits of elders etc are also the causes of child labour,

especially in developing countries like India. Usually the prevalence of child labour is high in those regions where the problems of poverty, hunger, illiteracy, malnutrition and low adult wages are prevalent.

The concept of child labour is highly complex and contentious. This aspect relates to age, place of employment, payment, exploitation, deprivation of childhood and denial of full development of the child. It is really surprising that our national law, Child Labour (Prohibition and Regulation) Act 1986 does not define the term 'child labour' at all. The main question is concerned with age. Hence this Law defines 'child' as a young person below fourteen years of age. But even the term 'child' has been defined differently in different Indian Laws. For instance, in Indian Penal Code 1860, an enactment of Colonial Government, Section 82 defines 'child' as someone below seven years, that is, any deviant behaviour or unexpected/unusual action of a child below seven years is not considered a crime. Our Constitution (Article 45, 39, 24) itself defines a child as someone below fourteen years of age. The second issue relates to the place of employment. That is, whether a child employed in the family works may be considered a child labour or an outside employment is a necessary condition for being a child labour. The third aspect is paid versus unpaid work of the child. That is, whether for being child labour, one is to be paid or even unpaid work of a child would come under the definition of child labour. Shanta Sinha and her M. V. Foundation, Rangareddy, (Andhra Pradesh) engaged in the eradication of child labour since 1992, take the most comprehensive definition encompassing denial of child's full development and rightly propound five postulates about child labour which are as follows:-

- (a) Every child not going to school is a child labour.
- (b) Whether child gets wages or not, works at his family or under others, works on daily basis or piece rate, he works as a child labourer.
- (c) To eradicate child labour from India, the only way is to remove child labour system in rural areas.
- (d) Every work is harmful to child because it affects his development.

- (e) Different logics like family's difficulties, poverty, child's earning as additional income to family, family's disinterestedness in sending the child to school, school being boring to children and education being unhelpful in providing employment are against the holistic development of the child.

It is need of the hour that we take some immediate steps to eradicate the child labour from our country and give our children opportunities to grow in a healthy environment with better access to quality health and education. To ensure this, we need to first remove the loopholes in various international and national laws. Our goal should be the eradication of child labour, hence, any law that provides for merely regulation is not acceptable because child labour is not regulatable at all considering the vast area, huge population, loopholes in law, dishonesty of employers and prevailing corruption among law enforcing authorities. The child labour is to be seen in the broadest sense as any kind of deprivation or denial of full development of the child must be construed as child labour, hence to be removed. Merely legislation, how much progressive it may be, is not sufficient for eradication of child labour. Actually along with full and regular enforcement of labour laws, it is urgently required that labour officials, prosecution and judicial officials should be sensitized towards child labourers' woes. A genuine mass awareness drive should be launched by the proactive voluntary organizations and citizens to bring all child labourers to schools, public or private.

2. Answer the following questions on the basis of the passage above. The Answer should be approximately in 50 to 75 words each.

(5x3=15 marks)

- (a) What are the main causes of child labour in India?
- (b) What are the inconsistencies with the definition of the term 'child' in India?
- (c) What steps could be taken to eradicate child labour from our country?

3. Draft a D.O. letter from the Secretary, Department of Labour and Employment to the Secretary, Department of Health and Family Welfare to consider the health concerns of child labourers in India while devising health care policies. (20 marks)
4. "Have we been able to implement information technology strategies in the field of accounts safely to ensure that the human expertise in accounts is retained?" Please comment in approximately 150 words. (25 marks)
5. Complete the following sentences with appropriate prepositions. (5 marks)
 - (i) The flags waved our heads.
 - (ii) The cat sprang the table.
 - (iii) The dog jumped the pond.
 - (iv) The ball rolled the table.
 - (v) The workers left the factory.
6. Change the following sentences into indirect speech. (5 marks)
 - (i) The teacher said, "Hush! Listen to me."
 - (ii) The girl said to the old man, "Could I use your telephone for a minute?"
 - (iii) The mother said, "My child, fish cannot live without water."
 - (iv) You said to me, "I have never told a lie in my life."
 - (v) The leader said to his followers, "Two wrong statements do not make one right one."
7. Use appropriate form of verb. (5 marks)
 - (i) Do not to learn your lessons. (Fail)
 - (ii) You cannot grapes from thistles. (Gather)
 - (iii) Have I really this mistake? (Do)
 - (iv) He me 200 rupees yesterday. (Give)
 - (v) Boys generally themselves on a holiday. (Enjoy)